राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3022/2007

प्रहलाद मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.12.2007
आदेश की दिनांक : 21.08.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्ति वर्ष 2005–06 के विरूद्ध उसी तिथी से पदोन्नति दी जावे, जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति आदि का लाभ दिया गया है तथा समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर एसटी वर्ग से दिनांक 03.01.1992 को हुई थी और अपीलार्थी ने दिनांक 04.01.1992 को कार्यग्रहण किया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को वर्ष 2002–03 में परिनिंदा का दण्ड दिया गया। श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2005–06 में हैड कांस्टेबल के 35 पद थे, जो शत–प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने थे, जिसमें कांस्टेबल के पद का 5 वर्ष का एवं स्नातक वालो के लिये 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक था, जिसमें अपीलार्थी ने भी आवेदन किया। अपीलार्थी उक्त पद के लिये

पूर्ण योग्यता रखता था। अपीलार्थी लिखित एवं परेड परीक्षा में सफल घोषित हुआ और उसे आउटडोर परीक्षा के लिये अनुमति दी गई। वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता क्रमांक 484 पर एवं अन्य दूसरे श्री रतनलाल एसटी वर्ग से कार्मिक का नाम 631 पर दर्शाया गया। अंतिम परिणाम दिनांक 25.07.2007 घोषित किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम 4 पदों के विरूद्ध नहीं था और 3 अभ्यर्थी जिसमें श्री रतनलाल हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिये नियुक्त किया गया। जबकि वह अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक है। उनका कथन है कि 3 कार्मिकों को पदोन्नति दी गई, जिसमें एक पद रिक्त रखा गया। अपीलार्थी की सेवायें हमेशा संतोषजनक रही हैं और उसे कई प्रशस्ति पत्र भी दिये गये हैं तथा 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसे चयनित वेतनमान का लाभ भी दिया गया है, परंतु उसे बिना किसी कारण के हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्ति वर्ष 2005–06 के विरूद्ध उसी तिथी से पदोन्नति दी जावे, जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति आदि का लाभ दिया गया है तथा समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी ने लिखित परीक्षा में 100 में से 47 एवं आउटडोर परीक्षा में 100 में से 51.5 तथा अन्य परीक्षा में 75 में से 31.5 अंक प्राप्त कर कुल 130 अंक प्राप्त किये हैं, जिससे वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा है। अपीलार्थी ने प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है। वर्ष 2005–06 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति पूर्णतया नियमानुसार की गई है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने

पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर एसटी वर्ग से दिनांक 03.01.1992 को हुई थी। श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2005–06 में हैड कांस्टेबल के 35 पद थे, जिसके क्रम में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त पदोन्नति हेतु परीक्षा आयोजित की गई और अंतिम परिणाम दिनांक 25.07.2007 घोषित किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम 4 पदों के विरूद्ध नहीं था और 3 अभ्यर्थी जिसमें श्री रतनलाल हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिये नियुक्त किया गया, परंतु अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ प्रदान नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्रकरण के वर्तमान परिस्थितियों एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)